

सहायक कलक्टर
अलवर

11/02/25

आज पञ्जावली पेश हुई। वादी वकील उप०। वादी वकील की डा. फ 212 RTA पर बहस एकपक्षीय सुनी गयी। बहस पर भगत करके जं दस्तावेजी अवलोकन पश्चात डा. फ का डा. फ 212 RTA वास्तु हस्ताक्षर निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। आदेश प्रक ले लिखा जाकर शा. मि. ए। पञ्जावली केसल सुमार होकर नंबर ले कर होकर संलग्न भूलपाद रहे।

24
सहायक कलक्टर
अलवर